महत्वपूर्ण एवं खास

पिता की डांट से तमनार से रायगढ़ पैदल जाने निकला 11 वर्षीय बालक, डॉयल 112 टीम पे पहुंचाया घर

रायगढ़। 15 मई के दोपहर डॉयल 112 घरघोड़ा ईआरवी को कारगिल चौक बस स्टैंड घरघोड़ा के पास अकेले घूम रहे बालक के लिये मिसिंग चाईल्ड का इवेंट मिला। इवेंट पर मौके पर पहुंचे आरक्षक मोहन भोई और ईआरवी वाहन चालक जनार सिंह को बालक मिला जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अनीस उरांव पिता बृजलाल उरांव उम्र 11 वर्ष निवासी गोढ़ी थाना तमनार बताया। स्टाफ लॉकडाउन में अकेले बाहर घूमने का कारण पूछने पर बालक घरवाले खाना नहीं देते हैं, इसलिए रायगढ़ जा रहा हूं बताया। तब डायल 112 स्टाफ चलो आपके माता-पिता को समझायेंगे कहकर गाड़ी में घर जाने के लिये बैठने बोले। तब बालक वापस घर नहीं जाने की जीद करने लगा। बालक को भूखा जान डॉयल 112 स्टाफ द्वारा एक घर में खाना खिलाये और उसे घर जाने के लिये मनाकर उसके घर ले गये। बालक की मां को बालक के घर से जाने की जानकारी नहीं थी। उसका पिता उसे घर से जाने पर डांट फटकार कर रहा था जिसे डॉयल 112 स्टाफ कड़े शब्दों में बालक से डांट फटकार करने से मना किये और उसकी देखभाल करने की हिदायत दिये।

आम फलोद्यान रोपण योजना का लाभ ले सकते है किसान

■ इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के उद्यानिकी अधिकारी को दे सकते है आवेदन

रायगढ़ । राज्य पोषित योजना विभागीय आम फलोद्यान (आम नवीन रोपण) वर्ष 2021-22 के क्रियान्वयन हेतु किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के उद्यानिकी अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। सहायक संचालक उद्यान डॉ.दीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले के लिए भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे विकासखण्ड वार विभाजित किया गया है। उपरोक्त राज्य पोषित योजना-विभागीय आम नवीन रोपण का लाभ लेने हेतु सामान्य, अ.ज.जा. एवं अजा.मदवार लक्ष्य निर्धारण किया गया है। उक्त योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों को न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर रकबा तक लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक कृषक अपने भूमि संबंधित दस्तावेज बी-1, खसरा, आधार कार्ड, कृषक पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक खाता की छायाप्रति, निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपने विकासखण्ड में पदस्थ उद्यानिकी अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। योजना क्रियान्वयन हेतु कृषकों का चयन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जावेगा। योजना अंतर्गत पिछले 03 वर्षो के लाभान्वित कृषक इस वर्ष में लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिये इच्छुक कृषक विकासखण्ड-कार्यालय/प्रभारियों के पास आवेदन/प्रकरण जमा करायेगें।

खेत में काम कर रहे किसान को हाथी ने रैंदकर मार डाला,बेटे ने पेड़ पर चढ़ बचाई अपनी जान

महासमुंद (आरएनएस)। खेत में काम कर रहे किसान को हाथ ने पटक-पटक कर मार डाला। वहीं बेटे ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम ग्राम परसाडीह में मनीराम यादव अपने पुत्र जयलाल यादव के साथ अपने खेत में धान के फसल में दवाई छिड़काव करने गए थे। जैसे ही मनी राम दवाई छिड़काव कर रहे थे, तभी अचानक पीछे की तरफसे हाथी खेत में पहुंच कर किसान को पटक-पटक कर मार दिया। पुत्र खेत के दूसरे छोर पर खड़ा था। हाथी को देखते ही जान बचाने के लिए आवाज लगाई। खुद पेड़ पर चढ़ कर जान बच पेड़ पर चढ़कर बेटे ने किसी तरह जान बचा ली, किसी तरह से हिम्मत जुटा कर गांव में फ ोन कर सूचना देकर ग्रामीणों को बुलाया, तब तक मनीराम की मौत हो चुकी थी। इसके बाद हाथी ग्राम परसाडीह के गली-मोहल्ले को पार करते हुए कुकराडीह बंजर में चला गया। वन एवं पुलिस विभाग को सूचना दी गई। शव को रात में खेत से बाहर निकाल कर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वन विभाग की ओर से तत्कालीन सहायता राशि 25 हजार रुपये मृतक के बड़े भाई को एसडीओ वन एसएस नाविक एवं रेंजर सालिक राम डडसेना ने प्रदान किया। इसी तरह आज शनिवार को सुबह तेंदूपत्ता तोड़ने पिरदा के बार जंगल गए युवक को हाथी ने दौड़ाया। जिसके बाद वह किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। लोग अत्यअधिक जरुरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे है।

रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रायगढ़ संपूर्ण जिला क्षेत्र को 16 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उन्होंने इस अवधि को बढ़ाते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। यह आदेश 16 मई 2021 की रात्रि 12 बजे से लागू होगा। अतः इस आदेश के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन उसी अनुसार किया जा सकेगा।।

उपरोक्त अवधि में सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

रायगढ़ जिला अन्तर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार के सभा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किन्तु वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों का मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों (वर एवं वधु सहित) का नाम/जानकारी एवं 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सभी प्रकार की मंडियॉ एवं सब्जी बाजार इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा। इस दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा रिटेल में विक्रय करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा।

सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फुड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलो एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स में आर्डर लेने का समय रात्रि 08.00 बजे तक रहेगा तथा होम डिलीवरी रात्रि 09.00 बजे तक ही की जा सकेगी। (रविवार को छोड़कर) भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लिए सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन हेतु प्रत्येक ग्राम/वार्ड में सुविधा केन्द्र बनाया गया है, जहां निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन हेतु चॉइस सेंटर संचालन की अनुमति शाम 04.00 बजे तक होगी।

शेष पेज 3 पर...

पुलिस हेल्प डेस्क... महीने भर से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का सिलसिला है जारी

रायगढ़। 14 अप्रैल 2021 से जिले में लगाये गये लॉकडाउन में असहाय व दैनिकभोगी व्यक्तियों को भोजन, सूखा राशन में मदद के लिये पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन पर 15 अप्रैल से जिला पुलिस द्वारा आमजन के सहयोग से पुलिस हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया। पुलिस हेल्प डेस्क के जरिए महीने भर से लगातार सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत जरूरतमंदों को रेडी-टू-ईट पैकेट के साथ सूखा राशन व अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदाय की जा रही है।

जिले में जिला प्रशासन द्वारा सभी वार्डों में दैनिकभोगी परिवारों एवं जरूरतमंदों की सूची तैयार कर उनमें सूखा राशन वितरण किये जाने का कार्य भी नगर निगम के माध्यम से जारी है। वहीं आमजन द्वारा भोजन के अतिरिक्त एम्बुलेंश, कोविड टेस्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड आदि के लिये भी हेल्प डेस्क व पुलिस अधिकारियों को कॉल किया जा रहा है जिस पर यथासम्भव सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई गई है। बढ़ते लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रभारियों को उनके क्षेत्र में निवासरत हर एक निराश्रित वृद्धजनों से मिलकर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं को संज्ञान में लेकर विशेष तौर पर मदद किये जाने निर्देशित किया गया था। प्रभारीगण लगातार अपने क्षेत्रों में ऐसे निराश्रितों को मदद पहुंचा रहे हैं।

फोनकॉल के अवाला लोग रायगढ़ पुलिस के फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर सहायता की मांग किये जिस पर उन्हें त्वरित मदद पहुंचाई गई है। पिछले दिनों नवापारा घरघोड़ा का एक परिवार होम आईसोलेशन में था, ऐसे में यह परिवार घर के बाहर नहीं जा पा रहा है। परिवार को सहायता के लिये सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक को टैग कर मदद की अपील की गई थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल घरघोड़ा प्रभारी के जरिए परिवार तक मदद पहुंचाये।

■ ग्राम बासनपाली के कोटवार दिया थाना प्रभारी तमनार को सूचना, थाना प्रभारी स्वयं पहुंची मदद के लिये – प्रतिदिन मदद के लिये ऐसी अकेलों सूचनाएं थाना प्रभारियों को प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में आज थाना प्रभारी तमनार किरण गुप्ता को ग्राम कोटवार बासनपाली द्वारा गांव के कुछ असहाय परिवारों को मदद की सूचना दिया गया जिस पर थाना प्रभारी स्वयं स्टाफ के साथ ग्राम बासनपाली पहुंचकर लोगों में सूखा राशन का वितरण की। टीआई किरण गुप्ता लगातार क्षेत्र में निराश्रित वृद्धजनों को मदद कर रही है साथ ही उन्हें घरों में रहकर संक्रमण से वायरस से बचने की सलाह दे रही है।

■ नेत्रहीन और 100 साल के बीमार वृद्ध की मदद के लिये थाना प्रभारी कापू के पास आया कॉल – थाना प्रभारी कापू के पास ग्राम समनी डीपापारा में रहने वाले बेहद बुर्जुग व बीमार के मदद के लिये कॉल आया। अपराध विवेचना में बाहर होने से थाने के सहायक उप निरीक्षक रमेश शर्मा को समनी जाने निर्देशित किये। सउनि शर्मा ग्राम समनी पहुंचकर बुर्जुग का हालचाल जाने। बुर्जुग को सूखा राशन की मदद कर स्वास्थ्य की जानकारी लिये, आसपास के लोग उसे 100 साल से अधिक का होना बताये, साथ ही गांव के नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करने को बोले जिस पर स्टाफ द्वारा आसपास के निराश्रित वृद्धजनों में सूखा राशन का वितरण किया गया है।

■ अमलीभैना और पुराना बस स्टैंड में फंसे डेरावालों को प्रतिदिन दोनों वक्त का भोजन उपलब्ध करा रही जूटमिल पुलिस – जुटमिल क्षेत्र अन्तर्गत अमलीभौना में बाहर से आये जड़ी-बुटी बेचने वाले डेरा लगाकर रह रहे थे, जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुये है, जिन्हें जूटमिल स्टाफ दोनों वक्त फुड पैकेट उपलब्ध कराती है, साथ ही पुराना बस स्टैंड सारंगढ, मिनीमाता चौंक व श्रमिक वार्डों में जूटमिल पुलिस द्वारा प्रतिदिन रेडी-टू-ईट पैकेट का वितरण कर रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की कार्यशैली कुछ बदली हुई है। शहर में क्राईम कन्ट्रोल में घूमने वाली कोतवाली पेट्रोलिंग असहाय, घूमतू लोगों में प्रतिदिन दोनों वक्त फूड पैकेट का वितरण कर रही है। पेट्रोलिंग वाहन में टीआई मनीष नागर, एएसआई राजेन्द्र पटेल व स्टाफ प्रतिदिन शहर में मानवीय कार्य करते देखे जा सकते हैं।

सीजी टीका पोर्टल पर टीकाकरण पंजीयन के लिए ग्राम व जनपद पंचायतों में हेल्पडेस्क शुरू

» जिनके पास मोबाइल या नेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं, वे पंजीयन के लिए ले सकते हैं मदद

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में कोविड-19 टीकाकरण पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत एवं जनपद मुख्यालयों में पंचायत कार्यालय एवं जनपद कार्यालय व नगरीय निकाय कार्यालयों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। राज्य शासन द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए सुविधाजनक तरीके से टीका लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में जिले के सभी ग्राम पंचायत एवं जनपद मुख्यालयों में ग्राम पंचायत एवं जनपद कार्यालय में पंजीयन के लिए हेल्प डेस्क बनाये गए है। जिन लोगों के पास मोबाइल अथवा नेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे पंजीयन के लिए इन हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य के 18 से 44 आयु के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ऑनलाईन पंजीयन के साथ-साथ इसमें यह सुविधा भी उपलब्ध है कि बिना मोबाइलधारी व्यक्ति भी जिला प्रशासन द्वारा स्थापित हेल्प डेस्क के सहयोग से अपना पंजीयन इस वेब पोर्टल में कराकर टीका लगवा सकता है। पंजीयन के लिये हितग्राही को अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। पंजीयन करने के बाद हितग्राही को एक पंजीयन नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसे उन्हें सुरक्षित रखना होगा। टीका लगने के समय केन्द्र में अपना पंजीयन नंबर देने के बाद हितग्राही को टीका लगाया जाएगा।

■ स्वयं से ऐसे कर सकते हैं पंजीयन- यदि आपके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप स्वयं से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सीजी टीका वेब पोर्टल में पंजीयन के लिए लिंक https://cgteeka. cgstate. gov.in/user-registration पर जाकर जानकारी अपलोड करनी होगी। पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। इस पोर्टल को यहां के लोगों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि लोगों को टीकाकरण के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो।

एक कोरोना पॉजिटिव नक्सली के साथ 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के कुआकोंडा थाने में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव बीमार एक नक्सली के साथ 05 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में बड़े बेड़मा के हुंगा डीएकेएमएस, लिंगाराम मिलिशिया सदस्य, जोगा उर्फ पांता, सीएनएम सदस्य जोगा कुंजाम, पांड पिता फागू शामिल हैं, सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों का कोरोना जांच की गई तो एक नक्सली हुंगा पॉजिटिव पाया गया। जिले में आत्मसमर्पित नक्सली के कोरोना पॉजिटिव का यह पहला मामला है। आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों के विरूद्ध कुआकोंडा थाना में अपराध दर्ज हैं।

दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 14.05.2021 को पुलिस चौकी जूटमिल क्षेत्र में रहने वाली युवती द्वारा कृष्णा साहू पिता सियाराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन ट्रांसपोर्टनगर इसकी चोरी छिपे मोबाईल पर अंतरंग तस्वीरें खींच कर वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को आज चौकी जूटमिल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी की मोबाईल जप्त की गई है, साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में आईटी एक्ट की धारा जोड़ी जावेगी।

पीड़ित युवती बताई कि कृष्णा साहू पारिवार के लोगों की मदद करता था, जिसे अपना हितैशी मानकर उससे मदद लिया करती थी। कृष्णा साहू का घर आना जाना था और एक दिन नहाते समय अपने माबाईल पर फोटो खींच कर उस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद कई बार बदनाम करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी कृष्णा साहू विवाहित है, पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी बनाया है। अपने दोस्तों को युवती को लेकर उल्टी-सीधी बातें करता और अपने एक दोस्त को युवती का फोटो व्हाटसअप भी किया, जिसे उसके दोस्त ने युवती को दिखाया। तब युवती अपनी मां को घटना बताई और पुलिस चौकी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 642/2021 धारा 376 आईपीसी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

टीके पर भरोसे की कहानी-सपरिवार पॉजिटिव हुए, बावजूद इसके वृद्ध पाण्डेय दंपत्ति ने वैक्सीन पर भरोसे व मन के हौसलों से दी कोरोना को मात

रायगढ़ । हार और जीत इच्छाशक्ति से तय होती है और यदि कोरोना से लड़ाई में जीत के लिए मन में सकारात्मक सोच और हौसला हो तो कठिन से कठिन हालात भी घुटने टेक देते हैं। लेकिन हताशा के इस दौर में जब पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो जाए, तो मनोबल बनाए रखना इतना आसान नही होता। 67 वर्षीया श्रीमती राधा पाण्डेय व 84 वर्षीय रामजी पाण्डेय के मन के अन्तर्द्वन्द व कोरोना पर जीत की कहानी कुछ अलहदा है। कोरोना वेक्सीन के दोनों डोज कम्प्लीट करने के बावजूद जब पाण्डेय दम्पत्ति पूरे परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव हुए तो उन्हें लगे दो डोज वेक्सीन के प्रति उनके भरोसे, भीतर के हौसले और जीवन के प्रति उम्मीदों ने कोरोना को चारों खाने चित कर दिखाया।

■ क्या कहना है पाण्डेय दम्पत्ति का, उनकी कहानी उनकी जुबानी– श्रीमति पाण्डेय बताती हैं जीवन में हताशा के दौर में अगर पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो, मन पर क्या बीतती है, ये हमने बखूबी महसूस किया। खासकर ऐसे समय में जब लोग कहते है कि, इसकी दवाई नहीं, इलाज नहीं और ऐसे में पूरा परिवार संक्रमित हो जाएं, जब कोई अपना भी पास आने से भी कतराने लगे तो ऐसे में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी जब कोरोना टेस्ट की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पहले हम थोड़ा

घबरा गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मैं, मेरे पति और साथ में परिवार में मेरी छोटी बहू, 2 पोती, 1 बेटे सहित हम 6 लोग कोरोना की चपेट में थे। हैरान थे कि इतना अधिक केयरफुल रहने के बावजूद भी पूरा परिवार कैसे कोरोना की चपेट में आ गया। यह स्थिति हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक ओर हमें खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना था, वहीं घर के मुखिया होने की हैसियत से हमे स्वयं भी और परिवार में सभी को मानसिक रूप से मोटिवेटेड और सबल बनाए रखने की महती जिम्मेदारी थी। लेकिन हमने इस स्थिति को भी स्वीकार किया और पूरे परिवार ने हिम्मत के साथ कोरोना का सामना किया। इस दौरान हम सब ने यह महसूस किया कि, हमारे आसपास व हमारे मन के भीतर कोई तो एक अलौकिक ऊर्जा है, जो आपस में हम सबको बांधे हुए हैं। मैं और मेरे पति बीपी के मरीज हैं। वैक्सीन के दो डोज लगाने के बाद भी दोनों संक्रमित होने पर भी, हमने पूरे हौसले के साथ होम क्वॉरेंटाइन को प्राथमिकता दी। पति व अन्य सदस्यों ने घर में ही रह कर सुरक्षित तरीके से तेजी से रिकवरी किया। मुझे लगातार 7 दिन तक फीवर रहा। होम क्वारेन्टीन के दौरान मेरा बीपी, पल्स रेट थोड़ा बढ़ गया और मेरा एसपीओ 2 लेवल 90 से 94 के बीच आ रहा था। मेरे दोनों बेटे आलोक और अमित ने तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श के बाद मुझे एहतियातन अस्पताल में एडमिट कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टर लगातार मुझे प्रोत्साहित करते रहे। उनके उत्साहवर्धन और इलाज की वजह से मैं 3 दिन में ही रिकव्हर होकर घर वापस आ गई। इस दौरान हमेशा यह बात मेरे दिमाग में थी कि, स्वयं का आत्मविश्वास, हौसला और पॉजिटिव एटीट्यूड कोरोना से लड़ने की अचूक औषधि है। कोरोना से डरने की नहीं बल्कि, इससे इसके प्रति सतर्क रहने और हिम्मत दिखाने की जरूरत है। मौजूदा माहौल में नकारात्मक बातों से परहेज करने की जरूरत है। लगातार सकारात्मक रहने और जीवन के उन अनमोल क्षणों को याद करने की दरकार है, जो जिंदगी में उमंग, उम्मीदों और हौसले का संचार करते हैं। बस मन के अपने इसी पॉजिटिव अप्रोच के बल पर पूरे परिवार ने कोरोना पर जीत दर्ज की और आज हम सब स्वस्थ व सकुशल साथ हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480